

विशेष मजदूरी अध्याय 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित जातियों में वन भांडवलदायक महंगाई भत्ता कार्यालय के पर संख्या-818-25 परवर्ग-(एफ/एफ/एफ)/15 दिनांक 10-10-2021 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत संख्या 80-198/30-3-2014-07(एफ/एफ)/4 दिनांक 28-01-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/30-3-2019-931(एफ/एफ)/6 दिनांक 20-09-2014 द्वारा 15 अनुसूचित जातियों में नियोजित कर्मचारियों हेतु मजदूरी की भूल रही एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता का निर्धारण करते हुए अधिसूचना संख्या 850/30-3-2019-931(एफ/एफ)/6 दिनांक 20-09-2014 द्वारा 15 अनुसूचित जातियों में नियोजित कर्मचारियों हेतु मजदूरी की भूल रही एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता का निर्धारण करते हुए अधिसूचना संख्या 850/30-3-2019-931(एफ/एफ)/6 दिनांक 20-09-2014 द्वारा 15 अनुसूचित जातियों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अधिक भारतीय उपमहाकाय कृषकता अधिनियम 2001-1001 माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 345 अंकों के ऊपर जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 के औसत अंक 345 अंकों पर दिनांक 1.10.2021 से दिनांक 31.3.2022 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित दुधाना की भांति गणना करके देय होगा-

दुधाना - रुपये-6750/- प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अनुसूचित वर्गों के कर्मचारियों को औसत उपभोग मूल सूचकांक-345 पर दिनांक 01-10-2021 से दिनांक 31-3-2022 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा:
 (345-216) x 5750-रुप-5757/- प्रतिमाह

216 विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी परिवर्तनीय महंगाई भत्ता मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दर निम्नवत है-

क्रमिक	वर्ग	प्रतिमाह मूल मजदूरी रुपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रुपये में		दिनांक 1.4.2021 से 30.9.2021 तक	
			दिनांक 01.4.2021 से 30.9.2021 तक	दिनांक 01.10.2021 से 31.3.2022 तक	कुल मजदूरी (रुपये में)	दैनिक मजदूरी (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकाल	9750	3328	3434	9164	353.23
2	अनुसूचित	6325	2680	2777.29	10,102.29	389
3	कुशल	7085	4100	4231.16	11316.16	435.23

नियोजन के नाम-

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टापर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिथान उद्योग।
4. वाणिज्यिक पेशी (एस्टेटेड ट्रिक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रबों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लानेटुड) के उद्योग।
7. पैटेल और डीजल आबल फर्प।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. गिले सिलाई कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. वीथ तटबंध के निर्माण और अनुसंधान, सिंचाई परियोजनाओं को और सालाको की खुदाई।
11. उन समस्त उच्चशिक्षित कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सम्बन्धी दुकानों।
13. इलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. ट्रेन फेड लायिंग और ट्रेन विटिंग।
16. ऐसे अभियन्त उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी सक्में।
20. निजी पुरतकालय।
21. काष्ठ सक्में और फनीचर उद्योग।
22. प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राथमिक सस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
23. तम्बाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. वाणिज्यिक (कार्परेटिव) लड्डा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26. दुकानों में
27. वाणिज्य अधिष्ठानों में।
28. चावल मिल, अटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मोटर परिवहन।
31. वीथिक परिवहन कर्मशाला।
32. आटोमोबाइल रिपेयरिंग कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाने रखने का निर्माण शकियाओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35. चिकन के कार्य।
36. विद्यालयों के उद्योग।
37. अद्वैतकर्म/आइसक्रीम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और बिरकुट विनिर्माणशाला।
39. बर्न विनिर्माणशाला।
40. एस्बेस्ट सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।

41. सार्वजनिक और निजी अर्थशास्त्र ;
42. विनिर्देशनी ;
43. कौशल-आधारित ;
44. फ्लैट्टर, डिजिटल या डिजिटलीज ;
45. डिजिटल मुद्रणशास्त्र ;
46. डिजिटल उद्योग ;
47. कपड़ा उद्योग ;
48. शिल्प उद्योग ;
49. एलेक्ट्रिक, आधुनिक, युवाजी कार्गो ;
50. कपड़ा ;
51. हथकरघा/शिल्प की सारी की दुकानें जहाँ के कार्य ;
52. कपड़ा धोने या प्रसंग के साबुन या सिटिकोट या साबुन का पूर्ण या आंशिक विनिर्माण ;
53. कपड़े का कपड़ा बनाने के अधिष्ठान ;
54. कपड़ाकारी ;
55. हथकरघा उद्योग ;
56. सिलाई कारखाने उद्योग ;
57. शोर्ट/ब्लिन्ड/ब्लाउज/ब्लूज/एक्यू कौशल उद्योगों के निर्माण ;
58. कपड़ा, कपड़ा और वेपर धातु उद्योग ;
59. ईट-बट्टा उद्योग ;
60. कपड़ा उद्योग के निर्माण में ;
61. कपड़ा के बरतों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के निर्माण ;
62. डिजिटल डिजाइन और सेवा प्रदाता अधिकांश में डिजिटल मुद्रण कर्मी(मुद्रण कर्मियों) डिजिटल डिजाइन सॉफ्ट/डिजाइन सॉफ्ट आदि कर्मी सम्मिलित हैं।
63. मुद्रण और कपड़ा के निर्माण, जिसमें कपड़ा कर्मी/विनिर्माण एवं मुद्रण सेवाकारों का निर्माण(प्रतिफल) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के विधि किण्व-कलाप सम्मिलित नहीं है।
64. परंपरा कपड़ाकारी का निर्माण ;
65. कम्प्यूटर हाईवेयर उद्योग एवं सेवाओं के निर्माण ;
66. एलपीडी/डी डिजाइन एवं संबंधित सेवाओं के निर्माण ;
67. टेक्नीक, आर्टिस्टिक/डिजाइन एवं डिजाइन अधिकांश में निर्माण ;
68. सॉफ्टवेयर और संबंधित सेवाओं के निर्माण ;
69. गैर सरकारी संगठन(एनजीओ) एवं संबंधित सेवाओं के निर्माण ;
70. डिजिटल सॉफ्टवेयर/सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस/अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले डिजिटल उद्योगों में के निर्माण ;
71. वेपर डिजाइन सेवाएं एवं ब्यूटी कालर(मुद्रण एवं सिलाई) के निर्माण ;
72. कपड़ा उद्योग कारखानों के निर्माण ;
73. कपड़ा सेक्टर/आर्टिस्टिक डिजाइन/टेक्नीक/डिजाइन सेवाओं आदि के निर्माण ;
74. ऐसे अधिष्ठान जो डिजिटल अनुसंधान/विनिर्माण के अधीन आधुनिक न हों, के निर्माण ;

(असहयोगपूर्वक)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।
संख्या 630-37 प्रकाशन-समय(अनुसंधान)/15 दिनांक 08/10/2021

प्रतिनिधि-

1. समस्त क्षेत्रीय अथवा/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आदेश से दृष्टित कि अधिनियम अधिकांशों को अवगत करावे तथा समितियों/सेवाकारों से उनके प्रतिनिधियों द्वारा योग्य होने पर उपलब्ध कराए।
2. अनुसंधान 2020/संज्ञक श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (विज रोड) भारत सरकार नई दिल्ली-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
4. अधिकांश निदेशक उद्योग से लखनऊ।
5. उप श्रम आयुक्त (आई० आर०), मुद्रणशास्त्र, कानपुर।
6. अथवा श्रम आयुक्त (कम्प्यूटर), मुद्रणशास्त्र को समस्त क्षेत्रीय अथवा/उप श्रम आयुक्त को ई-मेल के माध्यम से दृष्टित करने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
7. श्री दिनेश कुमार, पुस्तकालय/मुद्रणशास्त्र के अधिकांशों प्रेषित।
8. समस्त अनुसंधान/डिजिटल समाचार पत्रों को उनके माध्यम की जानकारी हेतु जनहित में निम्नलिखित प्रकारसे।

(असहयोगपूर्वक)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।